

राज्य
मार्ग में त
कता है
उचि-
कह
लि

भू-अर्जन

कार्यालय क्लोक्टर, जिला-कोरबा (छोगो) दुल' पटेल उपसतीत छोगो शासन
राजस्व दुवारा आपदा प्रबंधन विभाग

—“ अधिसूचना —

क्रमांक / ४४३० / भू-अर्जन / 2023

कोरबा , दिनांक २५ / ०६ / 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि जीवे अनुसूची में दर्शित भूमि की तुमान-पुटुवा-बनखेता मार्ग में अहिरण नदी पर उच्चरतरीय पुल के पहुंच गांव निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कोरबा
- (ख) तहसील—पोंडी उपरोड़ा
- (ग) ग्राम — पुटुवा
- (घ) क्षेत्रफल— ०.४४९ हेक्टर

क्र.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	131	0.336
2	132	0.113
कुल योग:-	2	0.449

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) पोंडी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निष्ठीत नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पोंडी उपरोड़ा

(संजीव कुमार श्री)
क्लोक्टर,
जिला—कोरबा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग